

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

( दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-11325/अलेसे-III/338

दिनांक:- 19-03-2021

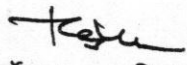
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. स. | लिंक नंबर | नाम कनिष्ठ लेखाकार (श्री/श्रीमाति/सुश्री) | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय                                                                | नाम परीक्षा                                                                                         |
|---------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 2.        | 3.                                        | 4.                                                                                       | 5.                                                                                                  |
| 1.      | 11325     | वनकेश कुमार मीना                          | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर. सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, लालसोट, जिला-दौसा | राजनैतिक विज्ञान<br>एम.ए. प्रथम वर्ष-2020<br>(स्वयंपाठी) वर्धमान महावीर<br>खुला विश्वविद्यालय, कोटा |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-11325/अलेसे-III/338

दिनांक:- 19-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, लालसोट, जिला-दौसा
- 2- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- श्री वनकेश कुमार मीना, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर. सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, लालसोट, जिला-दौसा

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

( दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-10572/अलेसे-III/339

दिनांक:- 19-03-2021

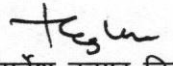
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. स. | लिंक नंबर | नाम कनिष्ठ लेखाकार (श्री/श्रीमाति/सुश्री) | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय | नाम परीक्षा                                                                                                       |
|---------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 2.        | 3.                                        | 4.                        | 5.                                                                                                                |
| 1.      | 10572     | विजय सिंह वर्मा                           | कोषाधिकारी उदयपुर(शहर)    | एम.कॉम. (पूर्वाह्न) वर्ष 2020-21<br>बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (स्वयंपाठी)<br>मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय<br>उदयपुर |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-10572/अलेसे-III/339

दिनांक:- 19-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।
- 2- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- श्री विजय सिंह वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)